

भारतीय गैर न्यायिक



INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

35AD 263303

यह जनरल स्टाम्प पेपर श्री गीरी चन्द अजयक द्वारा

जिला बागपट पत्रावली सं० 200 50 420  
सहायक अजयक

सत्य प्रतिलिपि

अजयक  
अध्याय सहायक / अजयक  
कार्यालय डि.डी. रजिस्ट्रार  
फॉर्म सोसाइटीज तथा विटस, मेरठ।

अजयक  
13-8-10

# Sant Gopichand Education & Welfare Society

Ahera (Baghpat) U.P. - 205 609

Ref. No. ....

Dated .....

## संशोधित नाम

संत गोपीचन्द एजूकेशन एण्ड वेलफेयर सोसायटी, अहैडा (बागपत)

का

## संशोधित स्मृति पत्र तथा नियमावली

1. संस्था का नाम : संत गोपीचन्द एजूकेशन एण्ड वेलफेयर सोसायटी, अहैडा (बागपत)
2. संस्था के उद्देश्य एवं कार्य : सोसायटी/संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :-
  - (क) क्षेत्रीय समाज का नैतिक एवं मानसिक विकास करना।
  - (ख) नर्सरी से यूनिवर्सिटी की कक्षायें खोलना, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, इण्टर तथा डिग्री कॉलेज तक की कक्षाओं के लिए विद्यालय बनाना।
  - (ग) क्षेत्रीय आवश्यकताओं तथा समाज हित में पोलिटेक्निक तथा मैडिकल कॉलेज खोलना।
  - (घ) शोध शिक्षा व स्त्री शिक्षा का प्रबन्ध करना।
  - (ङ) शारीरिक विकास के लिये व्यायाम शाला, खेल के स्टेडियम बनवाना।
  - (च) विद्यार्थियों का प्रबन्ध करना जिसमें टैक्निकल तथा नॉन टैक्निकल कक्षाएं हो।
  - (छ) बालकालय तथा छात्रावास एवं हस्पताल खोलना।
  - (ज) शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र खोलना।
  - (ण) होनहार छात्रों की मदद करना।
  - (त) सभी कार्यों की इमारतों के लिये जमीन खरीदना तथा उस पर भवन बनवाना।


सभी आमदनी तथा चल व अचल सम्पत्ति समाज हित के कार्यों में लगाएगी।

3. प्रबन्ध समिति : जिन सदस्यों को प्रबन्ध समिति गठित करने का कार्य सौंपा गया है जो सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 की धारा 2 के अनुसार समिति बनाना चाहते हैं, उनके नाम व पते तथा व्यवसाय :-

सत्य प्रतिलिपि

क्रमश ..... 2.....

प्रधान सहायक / ~~कार्यवाही~~  
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार  
कॉर्स सोसाइटीज तथा चिट्स, मेरठ



Phone - (0121) - 2966069

Fax - 0121 - 2966072

Website - www.shrigopichand.org

E-mail : sgcp\_pharm@yahoo.in

# Shri Gopichand Education & Welfare Society


Ahera (Baghpat) U.P. - 205 609

Ref. No. ....

Dated .....

क्रमांक	नाम व पते	पता	व्यवसाय	पद
1.	श्री गोपीचन्द पुत्र श्री जीवन सिंह	अहैडा-बागपत	कृषि	अध्यक्ष
2.	श्री श्रीचन्द पुत्र श्री चुन्नी लाल	रामपुरा दिल्ली-35	नौकरी	उपाध्यक्ष
3.	श्री रामकरण सिंह पुत्र श्री गोपीचन्द	अहैडा	नौकरी	प्रबन्धक
4.	श्री फकीर चन्द पुत्र श्री छोदू सिंह	अहैडा	नौकरी	उप-प्रबन्धक
5.	श्री रिछपाल सिंह	चिरोडी	कृषि	कोषाध्यक्ष
6.	श्री ईश्वर सिंह पुत्र श्री रूपन सिंह	बसी		सदस्य
7.	श्री रामदास पुत्र श्री जिया राम	गोठरा	नौकरी	सदस्य
8.	श्री अर्जुन सिंह	गोठरा	कृषि	सदस्य
9.	श्री शिवलाल पुत्र श्री हट्टी	अहैडा	कृषि	सदस्य

उपरोक्त पदाधिकारी एवं सदस्य सभित्ति का पंजीकरण कराना चाहते हैं।



*Sharma*

सत्य प्रतिलिपि

प्र. अध्यक्ष / अध्यक्ष  
कार्यालय सिटी रजिस्ट्रार  
कमर्स सोसाइटीज तथा चिट्स, मेरठ  
*Sharma*  
13-P-18

क्रमश .....3.....

# Sant Gopichand Education & Welfare Society

Ahera (Baghpat) U.P. - 205 609

Ref No

Dated

रखकर

संस्था नियमावली

1. साधारण सभा

(संस्थापक)

(आजीवन सदस्य)

साधारण सभा में निम्नलिखित पदाधिकारी एवं सदस्य होंगे।

इस संस्था के संस्थापक श्री राम करण सिंह पुत्र श्री गोपीचन्द अहैडा-बागपत हैं।

जो सज्जन इस संस्था को एक बार में दो सौ एक रुपये (रु० 201/-) के बजाय

इसके अतिरिक्त आजीवन सदस्य के

लिये यह भी आवश्यक होगा कि वह संस्था के सहयोग के लिये कम से

कम पचास हजार रुपये (रु० 50000/-) प्रतिवर्ष अपने जेबत से चन्दा

बुझकर देगा जो अपने स्वयं के संसाधनों से संस्था में जमा करायेगा।

यह पैसा संस्था द्वारा बैंक में जमा कराना आवश्यक होगा अन्यथा की

स्थिति में यदि वह लगातार 2 वर्षों तक संस्था को इस प्रकार सहयोग

नहीं करेगा तो उसकी आजीवन सदस्यता स्वतः समाप्त मानी जायेगी।

जब कोई नया सदस्य बनाना हो अथवा बनना चाहता हो तो पहले उसे

सदस्यता शुल्क देना होगा तथा बाद में उसका 2/3 आजीवन सदस्यों

द्वारा प्रस्ताव पास किया जायेगा कि अमुक व्यक्ति ने सदस्यता शुल्क दे

दिया है, अब उसे अगले आने वाले चुनाव में वोट देने का अधिकार प्राप्त

हो गया है अर्थात् जब तक 2/3 आजीवन सदस्यों द्वारा आजीवन

सदस्यता शुल्क देने वाले व्यक्ति का प्रस्ताव पास नहीं हो जायेगा तब

तक न तो वह आजीवन सदस्य होगा और न ही उसे किसी चुनाव में

वोट देने का अधिकार ही प्राप्त होगा।

(संरक्षक)

जो सज्जन इस संस्था को पच्चीस हजार रुपये (रु० 25000/-) नकद रूप में दान देगा।

(साधारण सदस्य)

जो सज्जन इस संस्था को एक बार में पांच सौ इक्यावन (रु० 551/-) का दान दे। शिक्षा विभाग के नियमानुसार वो भी सदस्य हो सकते हैं।

2. प्रबन्ध समिति

सोसायटी यदि एक से अधिक विद्यालय / कॉलेज खोलती है तो, सोसायटी अलग-अलग विद्यालय / कॉलेज की प्रबन्ध समिति एक भी

Handwritten signature



प्रबन्ध समिति / अध्यक्ष  
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार

Society

क्रमशः .....4

Phone - (0121) - 2966069

Fax - 0121 - 2966072

Website - www.shrigopichand.org

E-mail : sgcp\_pharm@yahoo.in

Handwritten notes and signatures at the bottom left.

# Shri Gopichand Education & Welfare Society

Ahera (Baghpat) U.P. - 205 609

Ref No

Dated .....

रख सकती है और अलग-अलग भी प्रबन्ध समिति बना सकती है।  
विद्यालय/कॉलेज की प्रबन्ध समिति के चेयरमैन की नियुक्ति सोसायटी  
करेगी। इस प्रबन्ध समिति के सदस्य आजीवन सदस्यों के बाहर से भी  
हो सकते हैं। संस्था द्वारा मात्र चेयरमैन की नियुक्ति आजीवन सदस्यों में  
से की जायेगी। चेयरमैन अपनी प्रबन्ध समिति का गठन करके संस्था  
द्वारा उसकी संस्तुति प्राप्त करेगा तभी वह समिति कार्य कर सकेगी।  
इस प्रबन्ध समिति का कार्यकाल 3 साल का होगा। उसके बाद

सोसायटी पुनः चेयरमैन की नियुक्ति करेगी। इस प्रकार की प्रबन्ध  
समिति का नाम नए खुलने वाले विद्यालय/कॉलेज के नाम पर होगा।



इस प्रबन्ध समिति के चेयरमैन के अधिकार सोसायटी के प्रबन्धक जैसे  
होंगे जो केवल उसी विद्यालय/कॉलेज के लिये ही प्रभावी होंगे जिसके  
प्रबन्धन का अधिकार सोसायटी ने उस प्रबन्ध समिति को दिया है।  
अध्यक्ष महोदय का ही चुनाव होगा जो आजीवन सदस्यों द्वारा किया  
जायेगा।

### 3. सोसायटी के पदाधिकारियों की चुनाव प्रणाली।

संस्था के केवल अध्यक्ष का चुनाव आजीवन सदस्यों द्वारा किया जायेगा इसके अतिरिक्त  
अध्यक्ष को भी पदाधिकारियों का चयन स्वयं आजीवन सदस्यों में से करना होगा जिनका  
अनुमोदन तीन दिन के अन्दर साधारण सभा द्वारा कराया जायेगा। इसका कार्यकाल पांच  
वर्ष होगा, अध्यक्ष को ये अधिकार होगा कि वह संस्था हित को ध्यान में रखकर किसी भी

सत्य प्रतिनिधि पदाधिकारी को हटा सकता है।

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

कमशः .....5

Phone - (0121) - 2966069

Fax - 0121 - 2966072

Website - www.shrigopichand.org

E-mail : sgcp\_pharm@yahoo.in

# Sant Gopichand Education & Welfare Society

Ahèra (Baghpat) U.P. - 205 609

Ref. No .....

Dated .....

#### 4. प्रबन्ध समिति के कर्तव्य और अधिकार :-

1. संस्था के धन व जायदाद की देख-रेख करना।
2. संस्था के कार्यों के लिये धन इकट्ठा करना।
3. वार्षिक आय-व्यय के चिट्ठे को पास करना या परिवर्तन करना।
4. विद्यालय के कर्मचारियों की नियुक्ति तथा उन पर नियंत्रण करना।
5. उप-समितियां बनाना और उनकी रिपोर्ट पर विचार करना।
6. सभाओं और चुनाव का प्रबन्ध करना।

#### 5. साधारण सभा के अधिकार और कर्तव्य :-

1. संस्था की प्रगति के लिये कार्य करना।
  2. संस्था की प्रबन्ध समिति को समय समय पर आवश्यक सूचना देना।
- चुनाव केवल अध्यक्ष का ही होगा जो आजीवन सदस्यों द्वारा किया जायेगा। अध्यक्ष महाद्वय चुनाव के तीन दिन बाद अपनी कार्यकारिणी, आजीवन सदस्यों में से बनाकर शिक्षा विभाग तथा अन्य आवश्यक विभागों को सूचित कर देंगे।

कार्यकारिणी में निम्न पद होंगे।

- (क) अध्यक्ष
- (ख) उपाध्यक्ष
- (ग) प्रबन्धक (मन्त्री)
- (घ) उप-प्रबन्धक (उपमन्त्री)
- (ङ) कोषाध्यक्ष
- (च) चार सदस्य

सत्य प्रतिलिपि (ङ)

प्रधान सहायक/अध्यक्ष  
वर्षावार डिप्टी सचिव  
कर्म संसाधन तथा चिट्ठे, मेरठ।

Sant Gopichand Education & Welfare Society

कमरा: .....6

Phone - (0121) - 2966069  
Website - www.shrigopichand.org

Fax - 0121 - 2966072

E-mail : socp\_pharm@yahoo.in

# Shri Gopichand Education & Welfare Society

Ahera (Baghpat) U.P. - 205 609

Ref No. ....

Dated .....

## 6. प्रबन्ध समिति के पदाधिकारियों के कर्तव्य और अधिकार

- (क) अध्यक्ष:-
- (1) संस्था और प्रबन्ध समिति के जलसों व सभाओं के सभापति रहेंगे और बैठक की कार्यवाही पर नियंत्रण रखेंगे।
  - (2) इन्हे कास्टिंग वोट देने का अधिकार रहेगा।
  - (3) यदि कोई पदाधिकारी एवं सदस्य नियम नं० 17 के अनुसार समिति से अलग हो गया है तो अध्यक्ष महोदय आजीवन सदस्यों में से उसकी नियुक्ति करेंगे।
- (ख) उपाध्यक्ष:- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके स्थान पर कार्य करेंगे।
- (ग) प्रबन्धक:-
- (1) संस्था और समिति की सभी बैठकों व मीटिंगों में लिए नोटिस एजेन्डा निकालेंगे।
  - (2) बैठकों के लिए आवश्यक पत्र विवरण तथा सामग्री तैयार रखेंगे।
  - (3) प्राप्त धन की रसीदें देंगे, चैक पर हस्ताक्षर करेंगे तथा हिसाब की देखभाल करेंगे।
  - (4) खर्च के हर वाउचर पर हस्ताक्षर करेंगे।
  - (5) आय-व्यय का चिटठा तैयार करेंगे।
  - (6) महत्वपूर्ण कागज सुरक्षित करेंगे।
  - (7) हर प्रकार के चुनावों के लिए मतदाताओं की सूची बनायेंगे तथा चुनाव का प्रबन्ध करेंगे।
  - (8) संस्था या समिति के पक्ष या विरोध में अदालती मामले प्रबन्धक के नाम से चलाये जायेंगे।
  - (9) पत्राचार का सभी कार्य प्रबन्धक द्वारा ही किया जायेगा।
  - (10) शिक्षा विभाग द्वारा प्रदत्त अधिकारियों को कार्य में लायेंगे। शिक्षक तथा अन्य कर्मचारियों को मोत्तिल करना एवं उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करना तथा उनकी रक्षा के लिए उचित कार्य करेंगे। अध्यापकों और प्रबन्धक के बीच पत्र आदि प्रधानाचार्य द्वारा ही भेजे जायेंगे।

(घ) उप प्रबन्धक :-

प्रबन्धक की अनुपस्थिति में प्रबन्धक का कार्य करेंगे या प्रबन्धक द्वारा दिये गये कार्य को करेंगे।

सत्य प्रतिनिधि

# Education & Welfare Society

Ahera (Baghpat) U.P. - 205 609

Dated .....

- (च) कोषाध्यक्ष :- 50000 रुपये तक चालू खर्च के लिये अपने पास रख सकता है तथा शेष धन प्रबन्ध समिति के खाते में जमा करायेंगे। यह धन प्रबन्धक तथा कोषाध्यक्ष दोनों के हस्ताक्षर से निकाला जा सकता है।
- 7:- संरक्षक :- सभा के सम्मानीय सदस्य होंगे तथा उनके मांगने पर मैनेजर को आवश्यक सूचना भेजनी होगी तथा उनका परामर्श मान्य होगा।
- 8:- संस्थापक :- विद्यालय के हितों को ध्यान में रखते हुए समिति को भंग करने का अधिकार होगा।
- 9:- उप-समितियाँ :- प्रबन्ध समिति किसी विशेष काम को सम्पादनार्थ उप-समितियाँ बनायेंगे, वह उस काम की समाप्ति तक रहेंगी।
- 10:- अधिकारों का आदान-प्रदान :- प्रबन्ध समिति लिखित प्रस्ताव द्वारा अपने या किसी पदाधिकारी के एक या अधिक अधिकारों को प्रबन्ध समिति के एक सदस्य को या उप समिति की प्रदान कर सकती है।
- 11:- बैठकें साधारण सभा की जनवरी में बैठक वर्ष में एक बार अवश्य और आवश्यकता अनुसार कभी भी बुलाई जा सकती है। तथा प्रबन्ध समिति की बैठक साधारणतया प्रतिमास होगी, विशेष परिस्थिति में प्रबन्धक समिति की बैठक कभी भी बुला सकता है। इसके लिए समय का प्रतिबन्ध नहीं होगा। समिति की बैठक दिन में एक से अधिक बार भी बुलाई जा सकती है। संस्था की बैठकों के लिए कम से कम दस दिन तथा समिति की बैठक के लिए सात दिन का नोटिस आवश्यक होगा आवश्यकतानुसार बैठक के लिए तीन दिन का नोटिस भी मान्य होगा।
- 12:- मत प्रणाली :- बहुमत द्वारा मामलों के निर्णय किये जायेंगे।
- 14:- प्रबन्ध समिति व साधारण सभा का कार्यक्रम कोरम :- प्रबन्ध समिति के लिए 9 सदस्य तथा सभा के लिए 2/3 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होगी। स्थगित की हुई बैठकों के लिए प्रबन्ध समिति के 4 तथा सभा के लिए 3/5 सदस्यों का उपस्थित होना आवश्यक होगा।



प्रधान सचिव/उप-सचिव  
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार

कर्म चोत्सवीय तथा विद्यालय, अहेरा




# Education & Welfare Society

Ahera (Baghpat) U.P. - 205 609

Dated .....

- 15:- बैंक :- रूपया राजकीय बैंक या प्राइवेट बैंक या प्रबन्ध समिति द्वारा निर्णित और शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकृत दूसरे बैंकों में भी रखा जा सकता है।
- 16:- बैंक :- बैंक से निकालने के लिए प्रबन्धक तथा कोषाध्यक्ष के हस्ताक्षर होंगे। अतः सोसाइटी का संयुक्त खाता होगा जिसे प्रबन्धक तथा कोषाध्यक्ष ऑपरेट करेगे।
- 17:- पृथकता :- मृत्यु, त्याग-पत्र, लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थिति तथा संस्था के प्रति दुर्व्यवहार और विद्यालय के विरोधी कार्यों के कारण प्रबन्ध समिति कुछ समय के लिए या सदा के लिए उस व्यक्ति को समिति की सदस्यता से पृथक कर सकती है।
- 18:-नियम में परिवर्तन :- इन नियमों में परिवर्तन-प्रबन्ध समिति द्वारा 2/3 सदस्यों की इच्छा पर विशेष बैठक में हो सकता है। इसकी सूचना (नियम परिवर्तन) तुरन्त ही जिल्डार कोपरेटिव सोसाइटी मेरठ को देनी चाहिए।
- 19:- मोहरबंद दस्तावेज :- प्रबन्ध समिति या सभा की आवश्यकतानुसार प्रबन्धक सभा या समिति में मोहर बंद पत्रों पर लगायेंगे जिन पर आवश्यकता हो। ऐसे पत्रों पर प्रबन्धक और अध्यक्ष के हस्ताक्षर होंगे।
- 20:- सभा समाप्ति :- यदि सभा समाप्त हो जाती है तो इसकी सम्पत्ति देनदार के भुगतान के पश्चात् एक प्रस्ताव द्वारा किसी दूसरी संस्था को दे दी जायेगी।
- 21:- आडिट :- किसी मान्यता प्राप्त ऑडिटर द्वारा समय-समय पर आडिट कराया जायेगा।
- 22:- :- यदि संस्था या समिति में कोई परिवर्तन करना हो जैसे - नाम परिवर्तन, आजीवन सदस्यता शुल्क, पदों का परिवर्तन करना हो या अधिकारों का, तो साधारण सभा में बहुमत से पास करके सोसायटी रजिस्ट्रार के यहाँ दर्ज कराकर उसका प्रमाण-पत्र लेना होगा।
- 23:- :- संस्था द्वारा किसी भी राजकीय बैंक या प्राइवेट बैंक या किसी प्राइवेट संस्था को, अपनी सम्पत्ति संस्था कार्यों के लिये, बन्धक करके ऋण लेने का अधिकार होगा जिसका उपयोग केवल सोसायटी हित में किया जायेगा।



# Chand Education & Welfare Society

Ahera (Baghpat) U.P. - 205 609

Dated .....



हम प्रमाणित करते हैं कि इन नियमों को सभा द्वारा पास किया गया है।

11. 21.11.2018  
"Amended"

अध्यक्ष

दिनांक 15.8.2018

प्रबन्धक

कोषाध्यक्ष

सत्य प्रतिलिपि

प्रधान सहायक / अध्येक्षक  
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार  
फार्मस सोसाइटीज तथा चिदस, मेरठ।

13.8.18

कमरा: .....10

# Sant Gopichand Education & Welfare Society

Ahera (Baghpat) U.P. - 250 609

Ref. No. SGEWS/01/2023

Dated 01.01.2023

## प्रबन्ध समिति के सदस्यों की सूची 01 जनवरी 2023 से लागू

S.No.	Name of Executive/Member's	Address	Designation
1.	Dr. Veena Rani Singh W/o Sh. A.V.Singh	R/o D-375, Hardevpuri Loni Road Shahdara, Delhi	President/Chairman
2.	Mr. Kishori Lal Yadav S/o Sh. Ram Chander Yadav	R/o RZF 357, Gali No. 3, Mahavir Enclave, South West Delhi - 45	Vice-President/ Vice-Chairman
3.	Dr. Ram Karan Singh S/o Late Sh. Gopichand	R/o Village & Post-Ahera, District- Baghpat, U.P.	Manager/Secretary
4.	Smt. Kavita Rani W/o Sh. Narender Kumar	R/o VPO. Sadatpur, Delhi	Deputy Manager/ Deputy Secretary
5.	Mr. Jayvir S/o Sh. Rampal Singh	VPO- Sanjarpur Kaidwa, Baraut- Baghpat, U.P.	Treasurer
6.	Mr. Lalit Nagar S/o Sh. Hetram Nagar	Village- Akalpur, Gautam Budh Nagar, U.P.	Member
7.	Mr. Devendra Bhati S/o Sh. Shriram	R/o C-560, Vedvyaspuri, Opp- Subharti University, NH-58, Kishanpura, Meerut, U.P.	Member
8.	Mr. Harish Bhadana S/o Sh. Rajpal Singh	L-1359, Shastri Nagar, Meerut, Uttar Pradesh	Member
9.	Amit Kumar Bansal S/o Sh. J P Bansal	155, 4, Guruduwara Wali Gali Durgapuri Ext., Shahdara, Delhi	Member

Handwritten signatures and names:   
Amit Kumar Bansal, Harish Bhadana, Kavita Rani, Lalit Nagar, Devendra Bhati, Jayvir, Kishori Lal Yadav, Veena Rani Singh.

Handwritten signature:   
Manager  
Sant Gopichand Education & Welfare Society  
Ahera-Baghpat